

दिनांक 01.07.2017

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के संयुक्त जांच टीम ने जी.ई. रोड के किनारे बने होटल एवं व्यवसायिक परिसर के बेसमेंट की जांच कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट जिलाधीश एवं आयुक्त नगर निगम को सौंपा।

शहर में बढ़ रहे यातायात के दबाव को कम करने सड़क किनारे खड़े वाहनों को व्यापारिक संस्थाओं के बेसमेंट का वाहनों के पार्किंग के रूप में क्यों उपयोग नहीं हो रहा है उसका वास्तविक क्या उपयोग हो रहा है की जांच करने नगर निगम भिलाई व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की संयुक्त टीम जिलाधीश उमेश अग्रवाल एवं आयुक्त के ०५०८८० चौहान के निर्देश पर अभियान प्रारंभ किया है। टीम ने अपने जांच के दुसरे दिन होटल वत्स, सेन्ट्रल पार्क, अमित पार्क, जैन इन, दीपक एडव्टाईजर, सिम्प्लेक्स कास्टिंग, श्रेयांश मेडिकल, चौहान टावर एवं स्टेट में आने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था का जांच किये।

जांच के दौरान टीम ने देखा कि वत्स होटल तथा दीपक एडव्टाईजर के भवन में बने बेसमेंट का उपयोग स्टोर रूम के रूप में तथा प्रिंटिंग कार्य के लिए किया जा रहा था। दोनों संस्थाओं के मेनेजर को बेसमेंट को खाली कर उसका उपयोग पार्किंग के लिए करने की समझाई दिये। होटल जैन इन का बेसमेंट बंद पाया गया। चौहान स्टेट में बने बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा रहा है किन्तु उक्त व्यावसायिक परिसर में आने वाले वाहनों की संख्या अत्यधिक होने के कारण लोग परिसर के दोनों किनारे सड़क पर अपने वाहन खड़े करते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है। जांच की कार्यवाही संयुक्त टीम द्वारा लगातार किया जायेगा।

जनसम्पर्क अधिकारी

